भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1213

दिनांक 13.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन की अवधि का विस्तार

1213. श्री नीरज डांगी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जल जीवन मिशन (जेजेएम) की अवधि को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान सरकार से पांच भूतल स्रोत आधारित परियोजनाएं अनुमोदन के लिए प्राप्त हुई हैं; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार जल जीवन मिशन के तहत इन पांच भूतल स्रोत आधारित वृहद परियोजनाओं को मंजूरी देना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग): भारत सरकार, वर्ष 2024 तक नल जल आपूर्ति की व्यवस्था करके देश के सभी ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के लिए, अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)- हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है।

अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना दी गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार दिनांक 09.02.2023 तक, जेजेएम के तहत पिछले साढ़े तीन वर्षों में अब तक, और 7.89 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 09.02.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में 19.39 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.12 करोड़ (57%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जलापूर्ति होने की सूचना दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शेष ग्रामीण परिवारों को मिशन की अवधि के भीतर कवर करने की सलाह दी गई है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और अनुरक्षण राज्य ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए, कार्यसंबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई)/ग्रामीण जल आपूर्ति (आरडब्ल्यूएस) विभाग के प्रभारी/मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय योजना संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) जेजेएम के अंतर्गत शुरू की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का अनुमोदन करती है। अलग-अलग योजनाओं का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****